रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03012026-269071
CG-DL-W-03012026-269071

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 28, 2025—जनवरी 3, 2026, शनिवार/पौष 7—पौष 13, 1947
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 28, 2025—JANUARY 3, 2026, SATURDAY/ PAUSHA 7—PAUSHA 13, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, प्रधान निजी सचिव, समूह-'क' पद भर्ती नियम, 2017, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, में प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, प्रधान निजी सचिव, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान निजी सचिव	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर - 11 (67,700 - 2,08,700 रू0)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति** : ज्येष्ठ निजी सचिव, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (47,600 - 1,51,100 रू0) में श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो तथा जिन्होंने प्रधान निजी सचिव के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों पर तीन से चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण 1:** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नियमित आधार पर ज्येष्ठ निजी सचिव (Sr. PS) के पद पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा छह वर्ष ही बनी रहेगी। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, क्रमिक श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा वाले अधिकारी द्वारा पूर्ण किए जाने की तारीख के निर्देश सहित तैयार की जाएगी। **टिप्पण-3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - सदस्य; और 4. उपनिदेशक (प्रशा.) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधिकारी : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (रु 56100-124500) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 9 (रु 53100-117800) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (रु 47600-105900) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण-1** : पोषक प्रवर्ग को ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि,	1. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी प्रशासन - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - सदस्य; 3. उपनिदेशक (प्रशा.) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - सदस्य।	

			जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. टी-21011/1/2023 - ए सी ए डी डेस्क]

उमा मगेश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel, Public and Training)

New Delhi, the 22nd December, 2025

G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Principal Private Secretary, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal Private Secretary in Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Principal Private Secretary, (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions

required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Principal Private Secretary.	1* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group, `A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Senior Private Secretary in level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with eight years' regular service in the grade and who have successfully completed three to four weeks training programme on duties and responsibilities of the Principal Private Secretary. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be six years for persons holding the feeder posts of Senior Private Secretary in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission – Chairperson; 2. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration – Member; 3. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration – Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

			considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of Stenographer Cadre under the Central Government or State Governments or Union territories, Administrations or recognised research institution or University or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs 56100-124500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs. 53100-117800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs. 47600-105900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	and 4. Deputy Director (Admin.), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration –Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Chairperson ; 2. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration – Member; 3. Deputy Director (Admin.), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration –Member.	

			Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. T-21011/1/2023-Acad Desk]

UMA MAGESH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.03 11:50:20 +05'30'